न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,पीपाड़ शहर जोधपुर ग्रामीण राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री दूदाराम हुड्डा, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 92/2023

जीसीएमएस नं. :– 2023/225

प्रार्थी :–
राणाराम पुत्र भगवानराम जाति सुथार निवासी ग्राम बांकलियां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–
1. राजस्थान जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण ।
2. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा पीपाड़ शहर।

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एलआर एक्ट</u>

दर्ज तारीख :–09.06.2023

उपस्थित :
श्री पृथ्वीराज चौहान अधिवक्ता प्रार्थी।
तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

आदेश

दिनांक : 14.08.2024

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम बांकलिया पटवारी क्षैत्र बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा, कृषि भूमि खसरानम्बर 159 रकबा 3.4140 हैक्टयर किस्म बारानी ए. कृषि भूमि स्थित है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा हैं। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी सावणु फसल की बुवाई करता आया है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मुटाम कायम करवाकर दिवार/तारबंदी करवाना चाहता है। वादग्रस्त आराजी का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में काई विवाद उत्पन्न नही हों। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डें उपलब्ध करवा देगा एवं मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देगा एवं नियमानुसार कमिश्नर को फीस अदा कर देगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम बांकलिया पटवारी क्षैत्र बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरानम्बर 159 रकबा 3.4140 हैक्टयर

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

किस्म बारानी ए. कृषि भूमि का नाप चौप किया जाकर सीमांकन किया जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिसमें अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का नाप चौप कर सीमांकन किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने की अनुशंषा की हैं।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी, वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम बांकलिया पटवारी क्षैत्र बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 159 रकबा 3.4140 हैक्टयर का नाप (सीमांकन) एवं पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया हैं।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बांकलिया के खसरा नम्बर 159 का टीम गठित कर नापचौप कर पत्थरगढ़ी करावे एवं फर्द मौका को निर्णय का अंग समझा जावें। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थी राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो, बाद पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमाकंन एवं पत्थरगढी किये जाने के समय पुलिस इमदाद की व्यवस्था दिलायी जाने का आदेश दिया जाता हैं।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 14.08.2024 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया ।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर